# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या–35 / 2015

आरसीएमएस नं. 2015 / 00050

नत्था कुमारी उर्फ नाथी (पुत्री स्व0 श्री रावता माता स्व0 श्रीमति नानकौरी पुत्री स्व0 श्री बीरबल) धर्मपत्नी श्री धर्मपाल, जाति जाट (खौथ) निवासी अरनीयांवाली, तहसील व जिला सिरसा।

––अपीलाण्ट

बनाम

1. जनकराज पुत्र स्व0 श्री ख्यालीराम पुत्र स्व0 श्री बीरबलराम जाति जाट (डूडी) निवासी पदमपुरा तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़। ––रेस्पोडेंट / वादी

2. मंगतूराम } पुत्रगण स्व0 श्री ख्यालीराम पुत्र स्व0 श्री बीरबल जाति जाट (डूडी)
3. नरसीराम } निवासीगण पदमपुरा तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंट / प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3

4. श्रीमति सन्तो (पुत्री स्व0 श्री ख्यालीराम) धर्मपत्नी श्री शिशपाल पुत्र श्री मनफूल जाति जाट (बेनीवाल) निवासी डबली कलां, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

5. श्रीमति बाधो (पुत्री स्व0 श्री ख्यालीराम) धर्मपत्नी श्री कुलदीप पुत्र श्री जय सिंह जाति जाट (बेनीवाल) निवासी भागवां–डोबी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

6. श्रीमति माड़ी (पुत्री स्व0 श्री ख्यालीराम) धर्मपत्नी श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री मनीराम जाति जाट (जांदू) निवासी माधोसिंघाना, तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।

––रेस्पोडेंट / मृतक प्रतिवादी संख्या 1

7. तहसीलदार (राजस्व), नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

––असल रेस्पोडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

8. छज्जूराम
9. रतन सिंह

} पुत्रगण स्व0 श्री श्योनारायण (माता स्व0 श्रीमति मनोहरी पुत्री स्व0 श्री बीरबल) जाति जाट (बान्दर) निवासी कुतियाना, पो0ओ0 जमाल, तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।

10. श्रीमति चिड़िया (पुत्री स्व0 श्री श्योनारायण–माता स्व0 श्रीमति मनोहरी पुत्री स्व0 श्री बीरबल) धर्मपत्नी श्री काशीराम पुत्र श्री नत्थूराम जाति जाट (कासनियां) निवासी शक्कर मन्दौरी, तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)।

11. श्रीमति सुमित्रा (पुत्री स्व0 श्री श्योनारायण–माता स्व0 श्रीमति मनोहरी पुत्री स्व0 श्री बीरबल) धर्मपत्नी श्री मांगीराम पुत्र श्री लालचंद जाति जाट (बेरड़) निवासी ढिलकीजाटान, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

12. श्रीमति भागवन्ती (पुत्री स्व0 श्री श्योनारायण–माता स्व0 श्रीमति मनोहरी पुत्री स्व0 श्री बीरबल) धर्मपत्नी श्री छोटूराम पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट (बेरड़) निवासी ढिलकीजाटान, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

13. श्रीमति विमला (पुत्री स्व0 श्री श्योनारायण–माता स्व0 श्रीमति मनोहरी पुत्री स्व0 श्री बीरबल) धर्मपत्नी श्री खूबीराम पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट (बेरड़) निवासी ढिलकीजाटान, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

14. श्रीमति मनसादेवी उर्फ मनीषा (पुत्री स्व0 श्री श्योनारायण–माता स्व0 श्रीमति मनोहरी पुत्री स्व0 श्री बीरबल) धर्मपत्नी श्री रामजीलाल पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट (बेरड़) निवासी ढिलकीजाटान, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

15. श्रीमति मुखी (पुत्री स्व0 श्री श्योनारायण–माता स्व0 श्रीमति मनोहरी पुत्री स्व0 श्री बीरबल) धर्मपत्नी श्री पृथ्वी पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट (बेरड़) निवासी ढिलकीजाटाम, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी रेस्पोडेंट

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 4 से 6, 8 से 15
श्री देवीलाल भाम्भू अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 7

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.1993
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर,
राजस्व वाद संख्या 260/1992 शीर्षक "जनकराज बनाम ख्यालीराम आदि"

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

:: निर्णय ::

दिनांक : 25.8.2022

1. अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.1993 के विरूद्ध बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत की है, जिसके अन्तर्गत वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 का वादपत्र डिक्री किया गया है।

2. अपीलाण्ट की अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिवंगत हरजीराम के पुत्र बीरबल अपीलाण्ट के नाना थे। स्व0 श्री बीरबलराम का सन् 1981 में देहान्त हुआ। स्व0 श्री बीरबलराम के तीन संतान नानकौरी, मनोहरी व ख्यालीराम थे। अपीलाण्ट की माता नानकौरी अपने पिता स्व0 श्री बीरबलराम के जीवनकाल में ही फौत हो गई थी। स्व0 श्री बीरबलराम के देहान्त के समय अपीलाण्ट स्व0 श्री बीरबलराम की मृतक पुत्री की पुत्री होने से स्व0 श्री बीरबलराम की प्रथम श्रेणी की वारिस थी। अपीलाण्ट ने यह कथन किया है कि स्व0 श्री बीरबलराम पुत्र हरजीराम की चक 13 जेएसएन व चक 10 जेएसएन में पैतृक कृषि भूमि 115 बीघा थी। स्व0 श्री बीरबलराम के देहान्त उपरांत उक्त भूमि अपीलाण्ट व मनोहरी तथा ख्यालीराम को बहिस्सा बराबर विरास्तन प्राप्त हुई। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.09.1992 को वादपत्र प्रस्तुत कर स्व0 श्री बीरबलराम के एक ही वारिस ख्यालीराम होना प्रकट कर व ख्यालीराम के तीन पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 होना व्यक्त कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया तथा प्रश्नगत भूमि में ख्यालीराम व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 को ही बहिस्सा बराबर का खातेदार होना प्रकट कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष याचित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वादपत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर प्रश्नगत भूमि ख्यालीराम व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की बहिस्सा बराबर की खातेदारी घोषित कर दिनांक 20.01.1993 को डिक्री पारित की है। अपीलाण्ट ने इस निर्णय व डिक्री को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए चुनौती दी है। अपीलाण्ट का अपील में मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि बीरबलराम पुत्र श्री हरजीराम का सन् 1981 में देहान्त हुआ था तथा उनके देहान्त के समय उनके वारिसान में अपीलाण्ट स्व0 श्री बीरबलराम की मृत पुत्री नानकौरी की पुत्री होने से व पुत्री मनोहरी भी प्रथम श्रेणी के वारिस थे तथा प्रश्नगत भूमि में अपीलाण्ट व मनोहरी का भी क्रमशः 1/3–1/3 हिस्सा का हक था। स्व0 श्री बीरबलराम के देहान्त उपरान्त ख्यालीराम ने उक्त भूमि का विरास्तन इंतकाल छिपे तौर पर स्वयं व अपनी माता हीरा के पक्ष में दर्ज करवा लिया तथा बाद में इस भूमि के संबंध में अपने पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से वादपत्र प्रस्तुत करवाकर परस्पर मिलीभगत कर यह भूमि अपने तीनो पुत्रों व स्वयं के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज करवा ली। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने यह जानते हुए कि स्व0 श्री बीरबलराम के प्रथम श्रेणी के वारिसों में अपीलाण्ट व मनोहरी भी वारिस है, उन्हें जानबूझकर इस वादपत्र में छुपाया। अपीलाण्ट का यह भी कथन है कि स्व0 श्री बीरबलराम निर्वसीयत फौत हुये थे तथा इस भूमि में अकेले ख्यालीराम या मु0 हीरा का ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हक व हिस्सा नहीं था बल्कि अपीलाण्ट व मनोहरी भी प्रथम श्रेणी के वारिस थे। रेस्पोडेंट ने राजस्व अभिलेख में गलत प्रविष्टि का अनुचित फायदा उठाकर परस्पर मिलीभगत कर यह डिक्री प्राप्त की है जो हस्तक्षेप योग्य है। अपीलाण्ट ने यह भी कथन किये कि वह विवाहिता औरत है तथा अपने ससुराल अरनीयांवाली तहसील व जिला सिरसा में निवास करती थी तथा रेस्पोडेंट ने सदैव ही प्रश्नगत भूमि में अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा होना स्वीकार किया तथा इस भूमि में अपीलाण्ट के हिस्सा की पैदावार नगद रूप में अपीलाण्ट को देते रहे। स्व0 श्री ख्यालीराम के देहान्त उपरान्त माह अप्रेल 2015 में रेस्पोडेंट द्वारा अपीलाण्ट को उसके हिस्सा की पैदावार देने से इन्कार करने व प्रश्नगत भूमि में अपीलाण्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं होना प्रकट करने पर अपने ससुराल की मदद से राजस्व अभिलेख की नकले प्राप्त करने पर अपीलाण्ट ने दिनांक 18.05.2015 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की है।

3. यह अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेंट को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेंट ने अपीलाण्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रबल विरोध किया तथा अपीलाण्ट को व्यथित पक्षकार होने के संबंध में यह आपत्ति की कि नानकौरी बीरबलराम के जीवनकाल में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही फौत हो गई थी तथा नानकौरी का प्रश्नगत भूमि में कोई हक नहीं होने से अपीलाण्ट किसी भी प्रकार से प्रभावित व पीड़ित पक्षकार नहीं है। स्व0 श्री बीरबलराम के सन् 1981 में फौत होने के बाद उसके जायज व कानूनी वारिसान के नाम प्रश्नगत भूमि का इंतकाल दर्ज हो चुका था। इस इंतकाल को अपीलाण्ट ने 34 वर्षो तक कोई चुनौती नहीं दी है तथा ना ही उसका कभी कब्जा काश्त रहा है, इस कारण वह तृतीय पक्षकार की हैसियत से अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिणी नहीं है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जबाव प्रस्तुत करते हुए भी यह कथन किये कि स्व0 बीरबलराम के सन् 1981 में देहान्त होने के बाद विरास्तन इंतकाल सन् 1981 में ही दर्ज हो गया था तथा इस विरास्तन इंतकाल की जानकारी अपीलाण्ट को सन् 1981 से ही है व इसी प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.1993 की जानकारी भी अपीलाण्ट को प्रारम्भ से ही है। यह अपील 23 वर्ष के बाद मियाद बाहर प्रस्तुत की जाने से मियाद बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। इस न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभय पक्षों की सुनवाई उपरांत दिनांक 01.05.2017 को विस्तृत विवेचन सहित अपीलाण्ट को व्यथित पक्षकार मानते हुए ज्ञान के दिवस से यह अपील अन्दर मियाद ग्रहण किये जाने के आदेश पारित किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 2605/2017 प्रस्तुत की। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 20.10.2021 को विस्तृत विवेचन सहित रेस्पोडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

संख्या 1 से 3 का यह निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया तथा अपीलाण्ट का हित प्रत्यक्षतः परिलक्षित होने व ज्ञान के दिवस से यह अपील अन्दर मियाद होने की अवधारणा पारित की गई। इस प्रकार निगरानी न्यायालय ने भी अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री से व्यथित पक्षकार होना व अपील ज्ञान के दिवस से अन्दर मियाद होना मान लिया है। दौराने अपील रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी दिनांक 04.02.2016 प्रस्तुत कर रामेश्वरलाल पुत्र रावताराम के पहचान पत्र, आधार कार्ड व राशन कार्ड की चित्रप्रतियां प्रस्तुत की तथा अपीलाण्ट को नानकौरी की बजाय श्रीमति फुसी की पुत्री होने का कथन किया। अपीलाण्ट ने दिनांक 16.02.2016 को इस प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत करते हुए यह तथ्य प्रकट किये कि वह श्रीमति नानकौरी की कौख से एवं स्व0 रावताराम के नुत्फा से उत्पन्न एक मात्र संतान है। स्व0 श्रीमति नानकौरी के फौत होने के बाद उसके पिता रावताराम ने श्रीमति फुसी पुत्री बालूराम जाति जाट पूनियां निवासी भगवानसर तहसील नोहर से द्वितीय विवाह किया। इस विवाह संबंध से स्व0 रावताराम के पांच पुत्र संतान रामेश्वर–जगदीश–धर्मपाल–राय सिंह–भीमराज व तीन पुत्रियां संतो–कमला व कौशल्यादेवी उत्पन्न हुये। स्व0 रावताराम की द्वितीय पत्नी से उत्पन्न संतानो का प्रश्नगत भूमि में कोई हक व हित नहीं है, क्योंकि प्रश्नगत भूमि अपीलण्ट की माता स्व0 श्रीमति नानकौरी के पीहर की है जिसमें स्व0 रावताराम की द्वितीय पत्नी फुसी से उत्पन्न संतानो का कोई हित नहीं है। अपीलाण्ट ने रामेश्वर पुत्र रावताराम से संबंधित जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है, वह स्व0 रावताराम की द्वितीय पत्नी फुसी से उत्पन्न संतान है। रेस्पोडेंट ने अपने प्रार्थना पत्र में भी असद्भावनापूर्वक इन तथ्यों को छिपाया है। इसके साथ ही अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत कर स्व0 रावताराम की द्वितीय पत्नी फुसी से उत्पन्न संतान श्री धर्मपाल पुत्र स्व0 श्री रावताराम का शपथ पत्र व धर्मपाल का पहचान पत्र व ग्राम पंचायत टोपरिया के द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र व दस्तावेज दस्तबरदारी प्रस्तुत की है। रेस्पोडेंट ने इस प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य के दस्तावेजो को सुसंगत नहीं होने की आपत्ति की। दोनो पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये दस्तावेज इस प्रकरण में अपीलाण्ट का नानकौरी की पुत्री होने अथवा फुसी की पुत्री होने के तथ्यों के निस्तारण हेतु सुसंगत मानते हुए दोनो पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किये जाकर इन दस्तावेजों को अभिलेख पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने मौखिक बहस के साथ–साथ लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिये है कि स्व0 श्री बीरबलराम के तीन संतान नानकौरी, मनोहरी व ख्यालीराम थे। अपीलाण्ट की माता नानकौरी अपने पिता स्व0 श्री बीरबलराम के जीवनकाल में ही फौत हो गई थी। स्व0 श्री बीरबलराम के देहांत के समय अपीलाण्ट स्व0 श्री बीरबलराम की मृतक पुत्री की पुत्री होने से स्व0 श्री बीरबलराम की प्रथम श्रेणी

Lalio
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

की वारिस थी। स्व0 श्री बीरबलराम पुत्र श्री हरजीराम की कृषि भूमि चक 13 जेएसएन व चक 10 जेएसएन में पैतृक कृषि भूमि 115 बीघा स्व0 श्री बीरबलराम के देहांत उपरांत अपीलाण्ट व मनोहरी तथा ख्यालीराम को बहिस्सा बराबर औद हुई थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.09.1992 को वादपत्र प्रस्तुत कर स्व0 श्री बीरबलराम के एक ही वारिस ख्यालीराम होना प्रकट कर व ख्यालीराम के तीन पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 होना व्यक्त कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया। इस वादपत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अधीनस्थ न्यायालय ने ख्यालीराम व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित कर दिया जबकि स्व0 श्री बीरबलराम के प्रथम श्रेणी की वारिसों में उसकी दोहिती अपीलाण्ट व पुत्री मनोहरी भी प्रथम श्रेणी के वारिस थे तथा प्रश्नगत भूमि में अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा का हक था। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि स्व0 श्री बीरबलराम के देहांत उपरांत ख्यालीराम ने उक्त भूमि का विरास्तन इंतकाल छिपे तौर पर स्वयं व माता के पक्ष में दर्ज करवाया तथा बाद में इस भूमि के संबंध में अपने पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 से वादपत्र प्रस्तुत करवाकर मिलीभगत कर यह भूमि अपने तीनो पुत्रों व स्वयं के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज करवा ली जो विधि विरूद्ध है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह तर्क भी दिया कि इस प्रकरण में नानकौरी की मृत्यु तिथि सुसंगत नहीं है क्योंकि स्व0 श्री बीरबलराम की विरास्त उनकी मृत्यु के बाद खुलनी है तथा स्व0 श्री बीरबलराम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद सन् 1981 में फौत हुये थे तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में वर्णित प्रथम अनुसूची के अनुसार मृतक श्री बीरबलराम की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री होने से अपीलाण्ट भी प्रश्नगत भूमि में विधि अनुसार उत्तराधिकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 ने स्व0 श्री बीरबलराम की पुत्रियों व पूर्व मृत पुत्री की पुत्री को जानबूझकर छिपाया है जबकि इस वादपत्र में स्व0 बीरबलराम की पुत्री व दोहिती भी आवश्यक पक्षकार थी। पुत्रियों को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत घोषणा का वादपत्र विधि विरूद्ध था। अपने इस तर्क के समर्थन में न्यायदृष्टान्त आर.आर.डी. 2012 पेज 315 प्रस्तुत किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह भी तर्क है कि अपीलाण्ट ने स्वयं को नानकौरी व रावताराम की पुत्री होने के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण पत्र पाठशाला प्रवेशा अनुज्ञा राजकीय माध्यमिक विद्यालय पदमपुरा प्रस्तुत किया है जिसमें उसकी माता व पिता का नाम अंकित है। रेस्पोडेंट द्वारा जो रामेश्वरलाल पुत्र रावताराम के राशन कार्ड व आधार कार्ड प्रस्तुत किये है, वह रामेश्वरलाल स्व0 श्री रावताराम का पुत्र अवश्य है लेकिन नानकौरी की मृत्यु के उपरांत स्व0 रावताराम द्वारा श्रीमति फुसी के साथ द्वितीय विवाह किया था व इस द्वितीय विवाह से रामेश्वर, जगदीश, धर्मपाल, राय सिंह, भीमराज, संतो, कमला व कौशल्या उत्पन्न हुये है। इन सभी का अपीलाण्ट के ननिहाल की सम्पति में कोई हक व हित नहीं है। रेस्पोडेंट का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि नानकौरी के कोई संतान नहीं हुई हो व ना ही यह तथ्य सिद्ध है कि अपीलाण्ट रावताराम की द्वितीय पत्नी से

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उत्पन्न संतान हो। अपीलाण्ट की ओर से धर्मपाल पुत्र श्री रावताराम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस शपथ पत्र के अनुसार रावताराम ने दो शादिंया की थी जिनकी पहली पत्नी ननकौरी उर्फ नानकौरी पुत्री बीरबलराम डूडी निवासी पदमपुरा व दूसरी पत्नी फुसी पुत्री बालूराम निवासी भगवानसर तहसील नोहर थी जो मिकर की माता है। इस तथ्य के खण्डन में रेस्पोडेंट ने ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि अपीलाण्ट नानकौरी की पुत्री ना हो। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह भी तर्क दिया है कि रेस्पोडेंट यह सिद्ध नहीं कर सके है कि नानकौरी निःसंतान फौत हुई हो या अपीलाण्ट स्व0 श्री रावताराम की दूसरी पत्नी फुसी से उत्पन्न संतान हो। विधि अनुसार नकारात्मक तथ्य को अपनी सुदृढ़ साक्ष्य से सिद्ध करने में असफल रहे है। इस बिन्दू पर विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने न्याय दृष्टान्त आर.आर.डी. 2016 पेज 236 प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट ने महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाकर एवं मिथ्या व्यपदेशन कर डिक्री हासिल की है तथा अपीलाण्ट के हितो पर कुठाराघात किया है। न्याय दृष्टान्त आर.आर.डी. 1977 पेज 231 प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय व विधि अनुसार प्रदत्त अधिकारों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने यह तर्क दिये कि नानकौरी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही फौत हो चुकी थी तथा उसका बीरबलराम की सम्पति में कोई अधिकार नहीं था। नानकौरी ने अपने जीवनकाल में कोई हक क्लेम नहीं किया, इसलिए अपीलाण्ट भी नानकौरी की मृत्यु उपरान्त स्व0 बीरबलराम की सम्पति में हक मांगने से विबंधित है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट का यह भी तर्क रहा है कि अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा। स्व0 बीरबलराम के देहान्त उपरांत ख्यालीराम व मु0 हीरा के नाम दर्ज इंतकाल को भी अपीलाण्ट ने चुनौती नहीं दी है। यदि वह इस इंतकाल से पीड़ित थी तो उसे अन्दर मियाद इस इंतकाल के विरूद्ध अपील करनी चाहिए थी। विद्वान अधिवक्ता ने रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्को के खण्डन में यह तर्क दिये कि इस प्रकरण में नानकौरी की मृत्यु महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि बीरबलराम की मृत्यु तिथि ही सुसंगत है तथा बीरबलराम सन् 1981 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के बाद फौत हुये है तथा स्व0 श्री बीरबलराम के विरास्तन उत्तराधिकारी उनकी मृत्यु के दिवस कौन–कौन थे, यही तथ्य महत्वपूर्ण है। नानकौरी निःसंतान फौत नहीं हुई बल्कि पाठशाला प्रवेशा अनुज्ञा के अनुसार अपीलाण्ट की माता नानकौरी व पिता स्व0 रावताराम होना सिद्ध है।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि में अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा है जिसकी वह खातेदार घोषित होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री गलत, विधि विरूद्ध व परस्पर मिलीभगत का परिणाम है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

8. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दिनांक 17.09.1992 को वादपत्र प्रस्तुत किया है। इस वादपत्र में प्रस्तुत वंशावली के अनुसार रेस्पोडेंट ने बीरबल का एक पुत्र ख्यालीराम होना ही प्रकट किया है व उसके तीन पुत्र मंगतू, नरसी व जनकराज होने का उल्लेख किया है। रेस्पोडेंट ने चक 13 जेएसएन व चक 10 जेएसएन की कुल 115 बीघा भूमि संयुक्त परिवार की भूमि होने का कथन किया है जिसमें से चक 13 जेएसएन की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ख्यालीराम ने 53 बीघा व प्रतिवादी संख्या 2 मंगतूराम ने करीब 11 बीघा व प्रतिवादी संख्या 3 नरसीराम ने 10 बीघा भूमि अपने नाम दर्ज करवा लेने के कथन किये है व चक 10 जेएसएन की भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ने करीब 15 बीघा व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने करीब 20 बीघा भूमि अपने नाम दर्ज करवा लेने का कथन किया है जो गलत रूप से दर्ज करवा लिये जाने के कथन किये गये तथा उक्त समस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का बहिस्सा बराबर का हक घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है। यह वादपत्र दिनांक 17.09.1992 को प्रस्तुत हुआ है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की तामील मानी जाकर उनके विरूद्ध दिनांक 21.10.92 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है। एकपक्षीय साक्ष्य में वादी के बयान होने पर दिनांक 20.01.1993 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित हुई है। इस वादपत्र में वादी जनकराज ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि बीरबलराम के एक मात्र वारिस ख्यालीराम ही हो। वादपत्र के साथ प्रस्तुत पर्चा खतौनी से यह सिद्ध है कि चक 13 जेएसएन व चक 10 जेएसएन की 115 बीघा भूमि बीरबलराम पुत्र हरजीराम के नाम थी। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत इंतकाल से यह भूमि ख्यालीराम व हीरा पत्नी बीरबलराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई है तथा कालांतर में ख्यालीराम के देहांत उपरांत यह समस्त भूमि चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 42/47 सम्वत् 2069–2072 तादादी 17.759 हैक्टेयर व चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 94/100 सम्वत् 2068–2071 तादादी 10.120 हैक्टेयर स्व0 ख्यालीराम के तीनो पुत्रों रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हुई है। अपीलाण्ट ने स्व0 मनोहरी के वारिसान के रूप में रेस्पोडेंट संख्या 8 से 15 को पक्षकार बनाया है। रेस्पोडेंट संख्या 8 से 15 ने इस अपील में इस तथ्य से इन्कार नहीं किया है कि उनकी माता मनोहरी स्व0 श्री बीरबलराम की पुत्री ना हो या स्व0 मनोहरी ने अपना हक अपने भाईयों के पक्ष में तर्क कर दिया हो। सभी रेस्पोडेंट ने अपीलाण्ट नत्थाकुमारी को नानकौरी की पुत्री साबित नहीं होने की ही दलील दी है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने निगरानी संख्या 2605 में अपने निर्णय दिनांक 20.10.2021 पत्रावली पर प्रस्तुत पाठशाला प्रवेशा अनुज्ञा में नत्थाकुमारी के पिता श्री रावताराम तथा माता श्रीमति ननकौरी अंकित होने को महत्वपूर्ण मानते हुए व इस दस्तावेज के खण्डन में रेस्पोडेंट की ओर से कोई भी दस्तावेज पेश नहीं होने को गंभीर मानते हुए अपीलाण्ट को नानकौरी की पुत्री होना प्रमाणित माना है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट ने कोई चुनौती नहीं दी है। अपीलाण्ट की ओर से स्व0 रावताराम की द्वितीय पत्नी से उत्पन्न पुत्र धर्मपाल का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिससे नानकौरी स्व0

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बीरबलराम की पुत्री होना व अपीलाण्ट स्व0 नानकौरी की पुत्री होना प्रकट है। न्याय दृष्टान्त आर.आर.डी. 2016 पृष्ठ 236 के अनुसार भी अपीलाण्ट नानकौरी की पुत्री नहीं है, यह प्रमाणित करने की जिम्मेवारी रेस्पोडेंट की है तथा संभावता का सिद्धांत (**Principle of Preponderance of probability**) अपीलाण्ट के पक्ष में है। रेस्पोडेंट का यह तर्क विधिसम्मत नहीं है कि नानकौरी की मृत्यु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व हो जाने से अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि में कोई हित व अधिकार नहीं हो।

9. उक्त विवेचन के अनुसार अपीलाण्ट स्व0 श्री बीरबलराम पुत्र स्व0 श्री हरजीराम की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री अर्थात् दोहिती होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में वर्णित प्रथम अनुसूची के अनुसार स्व0 श्री बीरबलराम की प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा उसका रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के नाम चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 42/47 सम्वत् 2069–2072 तादादी 17.759 हैक्टेयर व चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 94/100 सम्वत् 2068–2071 तादादी 10.121 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा की खातेदार होना पाई जाती है व उक्तानुसार यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.1993 को अपास्त किया जाता है तथा अपीलाण्ट स्व0 श्री बीरबलराम पुत्र स्व0 श्री हरजीराम की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री अर्थात् दोहिती होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में वर्णित प्रथम अनुसूची के अनुसार स्व0 श्री बीरबलराम की प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा उसका प्रश्नगत भूमि जो वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के नाम चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 42/47 सम्वत् 2069–2072 तादादी 17.759 हैक्टेयर व चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 94/100 सम्वत् 2068–2071 तादादी 10.121 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा की खातेदार घोषित की जाती है। तथा अपीलाण्ट के घोषित 1/3 हिस्सा अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.22 को लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

25/8/22

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़